मद सं.1: सकलेशपुर में 28 दिसंबर, 2016 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 85वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

----

28 दिसंबर, 2016 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 85वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 85 वीं बैठक 28 दिसंबर, 2016 को भा.इ.अ.सं., क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सकलेशपुर, कर्नाटक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

डॉ.ए.जयतिलक भा.प्र.से., अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1) श्री बी.एस. यद्यूरप्पा, माननीय सांसद (लोकसभा)
2) श्री एस. तंकवेलु, माननीय सांसद [राज्य सभा]
3) श्री धीरज नैय्यार, नीति आयोग
4) श्री चिरंजीव चौधरी, प्रधान सचिव, बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
5) श्री आंजो टी. जोस
6) श्री रवेला गोपालकृष्णा
7) श्री बी.एम. मुनिराजू
8) श्री आँके गौड़ा, निदेशक, आई आई एस आर, कालिकट के प्रतिनिधि
9) श्री नागराजन, निदेशक, सी एफ टी आर आई, मैसूर के प्रतिनिधि
10) श्री माधवराज, श्रीमती विजयलक्ष्मी, फलादा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन्स प्रा. लि., बैंगलुरु के प्रतिनिधि

निम्नलिखितों को अनुपस्थिति का अवकाश प्रदान किया गया :

1. श्री भास्कर शाह
2. श्री प्रताप सिंहा, माननीय सांसद [लोक सभा]
3. डॉ. विजु जेकब
4. श्रीमती अनिता कारणवर
5. डॉ. एन.सी.साहा, निदेशक, आई आई पी, मुंबई
6. डॉ. मात्यू सामुवेल कलरिक्कल
7. प्रधान सचिव, बागवानी, सिक्किम सरकार

8. निदेशक, बागान, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
9. श्री जोजो जॉर्ज
10. श्री के. जिया-उद-दीन-अहमद
11. श्री ई.एम.अगस्ती, उपाध्यक्ष

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :

1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
2) निदेशक, वित्त प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
3) श्री अजित तोमस, ए वी टी मकोर्मिक, चेन्नई
4) श्री कुमारलाल एम. तहिलियानी, एशियन फूड इंडस्ट्रीज़
5) श्री डी.वी.आर. राजीव मोहन, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
6) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की विशेष ड्यूटी पर अधिकारी
7) प्रधान सचिव, बागवानी, उत्तर प्रदेश सरकार

मद सं.1: विशाखपट्टनम में 21 सितंबर, 2016 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 84वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कोई टिप्पणियाँ न मिली थीं कि कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद सं. 2 : विशाखपट्टनम में 21 सितंबर, 2016 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 84वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

बोर्ड ने नोट कर लिया ।

मद सं. 3: मसाला विकास अभिकरणों (एसडीए) द्वारा संबंधित राज्यों में गुणवत्तायुक्त मसालों के विकास और उत्पादन केलिए परियोजना प्रस्ताव

बोर्ड ने स्पाइसेस बोर्ड के ज़रिए एम आई डी एच का कार्यान्वयन करने में राज्य सरकारों की सराहना की । श्री धीरज नैय्यार, नीति आयोग के प्रतिनिधि ने सुझाया कि एम आई डी एच के अंतर्गत कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने केलिए सोच रहे हैं।

मद सं. 4 : असम सरकार के आर के वी वाई, 2016-17 के अंतर्गत काली कालीमिर्च, अदरक और हल्दी के विकास हेतु एकीकृत परियोजना प्रस्ताव

बोर्ड ने, स्पाइसेस बोर्ड के ज़रिए आर के वी वाई के अंतर्गत काली कालीमिर्च, अदरक

और हल्दी के विकास हेतु एकीकृत परियोजना प्रस्ताव के कार्यान्वयन में असम सरकार की पहल की सराहना की।

मद सं. 5: मेसर्स युनीक् सैफ्रॉन ग्रोवर्स वेल्फेयर एण्ड डेवेलपमेंट को-ओपरेटीव मार्केटिंग लि. पांपोर, श्रीनगर द्वारा केसर केलिए प्रस्तुत छोटी प्रसंस्करण इकाई का उन्नयन

अध्यक्ष महोदय ने स्पेड़ा की स्थापना और प्रवर्तन के बारे में विस्तार से बताया और यह भी जोड़ दिया कि जम्मू व कश्मीर में "केसर के फ़ासलोत्तर, विपणि और निर्यात संवर्धन के कार्यान्वयन केलिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उठाई गई अनोखी पहल है। बोर्ड ने युनीक् सैफ्रॉन ग्रोवर्स वेल्फेयर एण्ड डेवेलपमेंट को-ओपरेटीव मार्केटिंग लि. पांपोर, जम्मू व कश्मीर को अपनी तत्परता केलिए सराहना की।

मद सं. 6: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र केलिए परंपरागत कृषि विकास योजना(पी के वी वाई) के अंतर्गत 'क्लस्टर अप्रोच" एवं पी जी एस प्रमाणन द्वारा जैव ग्राम को अपनाने के ज़रिए जैव खेती को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत परियोजना प्रस्ताव

बोर्ड ने स्टैटस नोट किया ।

मद सं. 7: एम ओ वी सी डी के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों के जैव मूल्य शृंखला विकास हेतु एकीकृत परियोजना प्रस्ताव

श्री धीरज नैय्यार, नीति आयोग के प्रतिनिधि ने सुझाया कि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एम ओ वी सी डी परियोजनाओं को अनुकूल रूप से विचार करने हेतु नीति आयोग में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के समायोजक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

मद सं. 8 : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप के गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास केलिए बड़ी इलायची की खेती को बढ़ावा देने हेतु परियोजना- प्रस्ताव

प्रस्ताव को नोट किया।

मद सं. 9: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण की स्थिति

बोर्ड ने स्थिति नोट की। श्री आँजो टी. जोस, सदस्य ने इडुक्की जिले के किसानों एवं निर्यातकों के लाभार्थ आई सी आर आई, मैलाडुंपारा में एक नाशकजीवनाशी जांच प्रयोगशाला का विकास किए जाने का अनुरोध किया।

मद सं.10: विश्लेषणात्मक कार्य को विश्वसनीयत: आउटसोर्स करने हेतु संरक्षणोपाय

विकसित करना

बोर्ड ने स्थिति नोट की और अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड मार्च 2017 के अंत तक इसको कार्यान्वित कर सकता है।

मद सं. 11: मसाला पार्क, गुंटूर में कृषक प्रशिक्षण केंद्र और गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला

बोर्ड ने मसाला पार्क में किसानोन्मुख प्रयोगशाला की स्थापना करने में स्पाइसेस बोर्ड के साथ साझा करने का आई टी सी-आई एल टी डी का प्रस्ताव अनुमोदित किया। बोर्ड ने अन्य अभिकरणों को भी इस काम में लगाने का सुझाव किया।

मद सं.12: गोशाला संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए देशी जैव इनपुट उत्पादन का प्रदर्शन और प्रशिक्षण

बोर्ड ने यह बताते हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि गोशाला संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए गुणवत्तायुक्त जैव खेती का विकास करना बहुत ही अनोखा और अभिनव उद्यम है। बोर्ड ने कृषकों को इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिक नयाचार विकसित करने केलिए भी संस्तुत किया। प्रधान सचिव, बागवानी विभाग, आंध्रप्रदेश ने प्रस्ताव के समर्थन करने के दौरान प्रस्तावित जैव खेती तरीके में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की ज़रूरत पर दुबारा ज़ोर दिया।

मद सं. 13: कॉफी बोर्ड के साथ मिलकर आन्ध्रप्रदेश - उड़ीसा सीमा से सटकर कालीमिर्च की खेती केलिए परियोजना

बोर्ड ने कॉफी बागानों और अरक्कु क्षेत्रों में कालीमिर्च की खेती हेतु कॉफी बोर्ड और आई टी डी ए के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था का पता लगाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। प्रधान सचिव, बागवानी, आंध्र प्रदेश ने स्पाइसेस बोर्ड के इस कार्यक्रम की पहल को, नारियल एवं सुपारी बगीचों में एक अंतराफसल के रूप में कालीमिर्च की खेती केलिए अनंतपुर और विशाखापट्टनम क्षेत्र के भाग उत्तर और पश्चिमी गोदावरी तक बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी आग्रह व्यक्त किया की मिर्च के अलावा कालीमिर्च, हल्दी एवं अदरक केलिए पड़ेरू/गोदावरी क्षेत्र में एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करते हुए वैज्ञानिक मूल्यवर्धन और विपणन व्यवस्थाएं की जाय। उन्होंने स्पाइसेस बोर्ड से यह भी आग्रह किया कि आन्ध्रप्रदेश सरकार से अन्य जनजातीय क्षेत्रों में भी एस परियोजना को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। आंध्रप्रदेश सरकार ने पौधशालाओं की स्थापना हेतु अपने बागवानी फार्म में ज़मीन उपलब्ध कराने की अपनी तत्परता ज़ाहिर की है और नारियल विकास बोर्ड से जुड़कर

प्रमुख कालीमिर्च पौधशालाएँ विकसित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड से वैज्ञानिक इनपुटों और तकनीकी सहायता केलिए अनुरोध किया। बोर्ड ने इन पहलुओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद सं. 14: वित्तीय वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में मसालों का निर्यात
बोर्ड ने अवधि के दौरान भौतिक एवं मूल्य -दोनों तौर पर मसालों का वर्धित निर्यात नोट किया।

मद सं. 15: मसाला पार्क का स्टैटस
बोर्ड ने मसाला पार्कों की स्थापना का स्टैटस नोट किया ।

मद सं.16: स्पाइसेस बोर्ड (भर्ती) विनियम 2010 में संशोधन
बोर्ड ने सहायक निदेशक(लेखा) के पद केलिए भर्ती विनियम में संशोधन लाने में की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया।

मद सं.17: मेसर्स फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लि. में ईक्विटी प्रतिभागिता ।
बोर्ड ने की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया ।

अन्य चर्चा:
क) नीति आयोग के श्री धीरज नैय्यार, "स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलाप" पर रिपोर्ट और अन्य बोर्डों, खासकर रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों पर एक तुलनात्मक नोट प्रस्तुत करने का सुझाव किया। उन्होंने आगे विचारार्थ, विशेषत: उत्तरपूर्व क्षेत्र केलिए, एम आई डी एच और बी ए डी पी के ज़रिए पहले ही प्रस्तुत परियोजना के संकलन और प्रस्तुतीकरण करने का अनुरोध किया।

ख) श्री आंजो टी. जोस ने नीलाम केंद्र में इलायची के कृत्रिम रंजन को रोकने के बोर्ड के कदमों की सराहना की और ऐसी पहल के ज़रिए इलायची में नाशकजीवनाशी प्रयोग को कम करने की पहल का भी सुझाव दिया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद अदा किया और बैठक सायं 4.00 बजे समाप्त हुई।

****